



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जुलाई, 2020-आषाढ़ 19, शके 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स बालाजी एसोसिएट्स जिसका पंजीयन क्रमांक 00250/11, दिनांक 28 फरवरी, 2011 है जो जिन्दल मार्केट सराफा बाजार लश्कर, ग्वालियर में स्थित है. जिसमें दिनांक 20 मई, 2020 भागीदार (1) श्री पुरुषोत्तम दास अग्रवाल पुत्र श्री मन्मूल अग्रवाल, निवासी सराफा बाजार, लश्कर, ग्वालियर, (2) सुरेश चन्द शर्मा पुत्र श्री गोपीनाथ शर्मा, निवासी रघुनाथपुर, तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर, (3) मोहनलाल शर्मा पुत्र स्व. श्री नारायण प्रसाद शर्मा, निवासी साईंस कॉलेज के पास शांती नगर कॉलोनी, शिवपुरी अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये एवं इसी दिनांक 20-05-2020 (1) श्री प्रवेश अग्रवाल पुत्र श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल, निवासी सराफा बाजार, लश्कर, ग्वालियर, (2) श्रीमती माया शर्मा पत्नी श्री सुरेश चन्द शर्मा, निवासी-42, राधाकृष्ण विहार, गोल पहाड़िया, लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मैसर्स बालाजी एसोसिएट्स,

गोविन्द मित्तल,

(भागीदार)

जिन्दल मार्केट, सराफा बाजार,

लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(89-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मैसर्स सरताज कन्स्ट्रक्शन एवं डेवलपर्स के नाम से एक भागीदारी फर्म है. इस फर्म से दिनांक 15-06-2020 से एक भागीदार (1) श्री स. तरनजीत सिंह बेदी पिता स्व. श्री स. अमरजीत सिंह बेदी, निवासी वार्ड नं. 15, श्याम टॉकिज, नरसिंहपुर रोड, छिन्दवाड़ा, तहसील एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) निकल रहे एवं उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 15-06-2020 से दो भागीदार (1) श्री स. कंवरजीत सिंह बेदी पिता श्री स. इकबाल सिंह बेदी, निवासी श्रीवास्तव कॉलोनी, छिन्दवाड़ा, तहसील एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) शामिल हो रहे हैं. अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 15-06-2020 से संशोधन उपरांत दो साझेदार रहेंगे. उक्त फर्म का रजिस्टर्ड वार्ड नं. 15, श्याम टॉकिज, नरसिंहपुर रोड, छिन्दवाड़ा तहसील एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) स्थित है. सर्व-साधारण को सूचना हेतु जारी.

मैसर्स सरताज कन्स्ट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स,

स. गुरजीत सिंह बेदी,

(पार्टनर).

(91-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म में श्री महाकाल ट्रेडर्स के नाम से एक भागीदारी फर्म है। इस फर्म से दिनांक 15-06-2020 से दो भागीदार (1) श्री स. जसमीतसिंह बेदी पिता स्व. हरपाल सिंह बेदी, निवासी नरसिंहपुर रोड़, छिन्दवाड़ा, तहसील एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) (2) श्रीमति सुरिन्दर कौर सबरवाल पति स. कुलविन्द्रसिंह सबरवाल, निवासी नरसिंहपुर रोड़, छिन्दवाड़ा, तहसील एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) निकल रहे हैं एवं उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 15-06-2020 से दो भागीदार (1) श्री स. अजिन्द्रसिंह बेदी पिता स्व. हरपाल सिंह बेदी, निवासी नरसिंहपुर रोड़, छिन्दवाड़ा, तहसील एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) (2) श्रीमति रमनप्रीत कौर बेदी पति स. अजिन्द्रसिंह बेदी, निवासी नरसिंहपुर रोड़, छिन्दवाड़ा, तहसील एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) यथावत रहेंगे। अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 15-06-2020 से संशोधन उपरांत दो साझेदार रहेंगे। उक्त फर्म का रजिस्टर्ड वार्ड नं. 10, नरसिंहपुर रोड़, छिन्दवाड़ा तहसील एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) स्थित है। सर्व-साधारण को सूचना हेतु जारी।

प्रदीप कुमार सरेठा,

(अधिवक्ता).

(90-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मे. तथागत ग्रेनाइट, पता ग्राम गठहरी, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश का पंजीयन सहायक पंजीयक, फर्म एवं सोसाइटी, सागर द्वारा पंजीयन क्रमांक 06/12/0180/19, सन् 2019-20 दिनांक 19 मार्च, 2019 से किया है। यह कि फर्म की भागीदारी की शर्त के अनुसार फर्म की रचना में परिवर्तन के प्रारूप 5 में दिनांक 01 जून, 2020 को हस्ताक्षर कर श्री रण विजय सिंह तनय श्री शिव भजन सिंह, उम्र 58 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट नरैचा, जनपद फतेहपुर (उ.प्र.), श्री बबलू सिंह तनय श्री सहदेव सिंह उम्र 51 वर्ष, निवासी पूर्वी तम्बेश्वर नगर, फतेहपुर (उ.प्र.) एवं श्री शिवशंकर सिंह तनय श्री जगरूप सिंह उम्र 57 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट खन्ना, महोबा, जनपद हमीरपुर (उ.प्र.) फर्म के नए भागीदार के रूप में जुड़ रहे हैं तथा फर्म के पूर्व भागीदार बंशीधर सेंगर तनय श्री ज्वाला प्रसाद सेंगर, निवासी मकान क्रमांक 164, ग्राम भौली डंडा जनपद हमीरपुर (उ.प्र.) एवं श्री ब्रजराज सिंह तनय श्री कुबेर सिंह उम्र 59 वर्ष, निवासी विवेक नगर, हमीरपुर (उ.प्र.) फर्म में यथावत हैं। अतः दिनांक 01 जून, 2020 तक किसी व्यक्ति या फर्म का मे. तथागत ग्रेनाइट के नाम से कोई लेन-देन बाकी हो तो प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के भीतर दावा प्रस्तुत करें। इसके बाद किसी भी प्रकार का दावा मानी नहीं किया जावेगा।

मेसर्स तथागत ग्रेनाइट,

द्वारा-बंशीधर सेंगर,

(पार्टनर).

(92-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स आर.एस. फिलिंग सेन्टर जिसका पंजीयन क्रमांक 0142/18, दिनांक 17/09/2018 जो गाँदूपुरा, पोस्ट मुलीपुरा, जिला भिण्ड में स्थित है जिसमें दिनांक 10/06/2020 को भागीदार श्रीमती रेखा यादव पत्नी श्री चरण सिंह यादव निवासी ए-5 विवेक विहार, नियर चेतकपुरी, जय विलास पेलेस केम्पस, लशकर, ग्वालियर (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गई एवं इसी दिनांक 10/06/2020 श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री जनक सिंह, निवासी 01-ग्राम जावास, जिला भिण्ड नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

मैसर्स आर.एस. फिलिंग सेन्टर,

धरम सिंह,

(भागीदार).

(93-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s IMPERIAL INFRA जिसका पंजीयन क्रमांक 0258/19, दिनांक 24/01/2019 में पंजीकृत है जो पाठक कॉलोनी टेकनपुर ग्वालियर में स्थित है जिसमें दिनांक 01/04/2020 को भागीदार श्री अन्शुमन मिश्रा पुत्र श्री नरोत्तम मिश्रा, निवासी-बी-6 चार ईमली भोपाल अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये हैं एवं इसी दिनांक 01/04/2020 श्री विश्वजीत सिंह पुत्र श्री शैलेन्द्र सिंह, निवासी-22 सी/6-डी दरूममोण्ड प्रयागराज, उत्तर प्रदेश नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गये हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

मैसर्स इम्प्रीरियल इन्फ्रा,

अनुज शर्मा,

(भागीदार).

(94-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक, लोक न्यास, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन

रा.प्र.क्र.0004/बी-113(1)/2019-20.

मण्डलेश्वर, दिनांक 09 जून, 2020

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अजय जोशी पिता पुष्पांजन जोशी, निवासी महात्मा गांधी मार्ग, महेश्वर, तह. महेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश न्यासधारी एवं अध्यक्ष द्वारा “नार्मदिय सेवा न्यास”, श्रीनगर कॉलोनी, बड़वाह रोड, मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के तहत सार्वजनिक न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने का निवेदन किया गया है।

अतः मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता लोक न्यासों का पंजीयक मेरे न्यायालय में दिनांक 09 जुलाई, 2019 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा उक्त मामले की जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ।

उक्त आवेदन-पत्र न्यास गठन की कार्यवाही मेरे न्यायालय में प्रचलित है यदि कोई व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार उक्त न्यास के गठन या पंजीयन के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता है तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित में इस सूचना प्रकाशन के 30 दिवस की अवधि में दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा वकील या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्ति/सुझाव को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|-----------------|---|--|
| 1. न्यास का नाम | : | “नार्मदिय सेवा न्यास” |
| 2. न्यास का पता | : | नार्मदिय सेवा न्यास, एम.जी. रोड, महेश्वर, तह. महेश्वर, जिला खरगोन. |
| 3. चल सम्पत्ति | : | निरंक. |
| 4. अचल सम्पत्ति | : | निरंक. |

यह सूचना आज दिनांक 09 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी की गई.

(542)

आनंदसिंह राजावत,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट (रा. परि.), टी. टी. नगर, भोपाल

प्र. क्र.-03/बी-113/2019-20.

प्रारूप-4

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश न्यास नियम, 1962 के नियम (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि (भारत भक्ति न्यास) द्वारा सुश्री प्रज्ञा सिंह आ. श्री सी. पी. सिंह, डॉ. जसबीर कौर, श्री अरूण तिवारी, श्री वीरेन्द्र जैन, विदुषी सिंह भदौरिया, निवासीगण-भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर ट्रस्ट का पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 20 मार्च, 2020 को विचार किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, तो वह इस सूचना के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथास्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

- | | | |
|------------------|---|-------------------|
| 1. ट्रस्ट का नाम | : | भारत भक्ति न्यास, |
| 2. अचल सम्पत्ति | : | निल |
| 3. चल सम्पत्ति | : | निल |

आज दिनांक 06 मार्च, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(543)

राजेश कुमार शुक्ला,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर

नरसिंहपुर, दिनांक 02 मार्च, 2020

क्र./उरन./परि./2019-20/244.—कार्यालयीन आदेश क्र./उरन./परिसमापन/2018/1092, नरसिंहपुर, दिनांक 28 जून, 2018 द्वारा चौधरी सीड्स बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिमरिया पं.क्र. 687, दिनांक 30 जून, 2014 ग्राम व पोस्ट सिमरिया, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्री संजय दुबे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संशोधित आदेश क्रमांक/उरन./परिसमापन/2019/1017 नरसिंहपुर, दिनांक 11 सितम्बर, 2019 द्वारा श्री एम. जी. सोनी, उप अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्सशीट में लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी व देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत चौधरी सीड्स बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिमरिया पं.क्र. 687, दिनांक 30 जून, 2014 ग्राम व पोस्ट सिमरिया, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 02 मार्च, 2020 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(544)

नरसिंहपुर, दिनांक 02 मार्च, 2020

क्र./उरन./परि./2019-20/245.—कार्यालयीन आदेश क्र./उरन./परिसमापन/2017/1155, नरसिंहपुर, दिनांक 12 जून, 2017 द्वारा जय महाकाल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कमोद, पं.क्र. 727, दिनांक 30 जून, 2014 ग्राम व पोस्ट कमोद, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्री संजय दुबे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संशोधित आदेश क्रमांक/उरन./परिसमापन/2019/1020 नरसिंहपुर, दिनांक 11 सितम्बर, 2019 द्वारा श्री एम. जी. सोनी, उप अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्सशीट में लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी व देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत जय महाकाल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कमोद, पं.क्र. 727, दिनांक 30 जून, 2014 ग्राम व पोस्ट कमोद, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 02 मार्च, 2020 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(544-A)

नरसिंहपुर, दिनांक 02 मार्च, 2020

क्र./उरन./परि./2019-20/246.—कार्यालयीन आदेश क्र./उरन./परिसमापन/2018/1486, नरसिंहपुर, दिनांक 24 अगस्त, 2018 द्वारा साईं बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बगासपुर, पं.क्र. 742, दिनांक 30 जून, 2014 ग्राम व पोस्ट बगासपुर, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्री संजय दुबे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संशोधित आदेश क्रमांक/उरन./परिसमापन/2019/1018 नरसिंहपुर, दिनांक 11 सितम्बर, 2019 द्वारा श्री एम. जी. सोनी, उप अंकेशक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्सशीट में लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी व देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत साईं बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बगासपुर, पं.क्र. 742, दिनांक 30 जून, 2014 ग्राम व पोस्ट बगासपुर, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 02 मार्च, 2020 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(544-B)

नरसिंहपुर, दिनांक 02 मार्च, 2020

क्र./उरन./परि./2019-20/247.—कार्यालयीन आदेश क्र./उरन./परिसमापन/2014/169, नरसिंहपुर, दिनांक 05 फरवरी, 2014 द्वारा शिवम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., घुटंगो, पं.क्र. 681, दिनांक 30 जून, 2014 ग्राम घुटंगो, पोस्ट नांदनेर, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्री एस. एस. भाटी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्सशीट में लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी व देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत शिवम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., घुटंगो, पं.क्र. 681, दिनांक 30 जून, 2014 ग्राम घुटंगो, पोस्ट नांदनेर, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 02 मार्च, 2020 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(544-C)

नरसिंहपुर, दिनांक 02 मार्च, 2020

क्र./उरन./परि./2019-20/248.—कार्यालयीन आदेश क्र./उरन./परिसमापन/2017/1155, नरसिंहपुर, दिनांक 12 जून, 2017 द्वारा किसान प्रगति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., श्रीगनर, पं.क्र. 716, दिनांक 30 जून, 2014 ग्राम व पोस्ट श्रीनगर, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की

धारा-70 (1) के तहत श्री संजय दुबे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संशोधित आदेश क्रमांक/उरन/परिसमापन/2019/1019 नरसिंहपुर, दिनांक 11 सितम्बर, 2019 द्वारा श्री एम. जी. सोनी, उप अंकेशक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्सशीट में लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी व देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत किसान प्रगति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., श्रीगनर, पं.क्र. 1155, दिनांक 30 जून, 2014 ग्राम व पोस्ट श्रीनगर, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 02 मार्च, 2020 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(544-D)

नरसिंहपुर, दिनांक 02 मार्च, 2020

क्र./उरन./परि./2019-20/249.—कार्यालयीन आदेश क्र./उरन/परिसमापन/2017/760, नरसिंहपुर, दिनांक 13 अप्रैल, 2017 द्वारा यूनाईटेड साख सहकारी समिति मर्या., गाडरवारा, पं.क्र. 762, दिनांक 30 जून, 2014 ग्राम व पोस्ट गाडरवारा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के तहत एस. एस. भाटी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्सशीट में लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी व देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत यूनाईटेड साख सहकारी समिति मर्या., गाडरवारा, पं.क्र. 762, दिनांक 30 जून, 2014 ग्राम व पोस्ट गाडरवारा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 02 मार्च, 2020 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(544-E)

नरसिंहपुर, दिनांक 02 मार्च, 2020

क्र./उरन./परि./2019-20/250.—कार्यालयीन आदेश क्र./उरन/परिसमापन/2014/171, नरसिंहपुर, दिनांक 05 फरवरी, 2014 द्वारा आदर्श बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खुर्सीपार, पं.क्र. 701, दिनांक 30 जून, 2014 ग्राम व पोस्ट खुर्सीपार, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्री एस.एस. भाटी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्सशीट में लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी व देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत आदर्श बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खुर्सीपार, पं.क्र. 701, दिनांक 30 जून, 2014 ग्राम व पोस्ट खुर्सीपार, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 02 मार्च, 2020 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(544-F)

नरसिंहपुर, दिनांक 02 मार्च, 2020

क्र./उरन./परि./2019-20/251.—कार्यालयीन आदेश क्र./उरन./परिसमापन/2018/1088, नरसिंहपुर, दिनांक 28 जून, 2018 द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समिति मर्या., बहोरीपार, पं.क्र. 527, दिनांक 10 मार्च, 1997 ग्राम व पोस्ट बहोरीपार, तहसील व जिला नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्रीमती त्रिवेणी साहू, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्सशीट में लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी व देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत दुग्ध उत्पादक समिति मर्या., मल्लाह पिपरिया, पं.क्र. 527, दिनांक 10 मार्च, 1997 ग्राम व पोस्ट बहोरीपार, तहसील व जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 02 मार्च, 2020 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(544-G)

नरसिंहपुर, दिनांक 02 मार्च, 2020

क्र./उरन./परि./2019-20/252.—कार्यालयीन आदेश क्र./उरन./परिसमापन/2017/1095, नरसिंहपुर, दिनांक 30 मई, 2017 द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समिति मर्या., मल्लाह पिपरिया, पं.क्र. 486, दिनांक 14 दिसम्बर, 2011 ग्राम व पोस्ट मल्लाह पिपरिया, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्रीमती त्रिवेणी साहू, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्सशीट में लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी व देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समिति मर्या., मल्लाह पिपरिया, पं.क्र. 486, दिनांक 14 दिसम्बर, 2011 ग्राम व पोस्ट मल्लाह पिपरिया, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 02 मार्च, 2020 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(544-H)

नरसिंहपुर, दिनांक 06 मार्च, 2020

क्र./उरन./परि./2019-20/274.—कार्यालयीन आदेश क्र./उरन./परिसमापन/2009/755, नरसिंहपुर, दिनांक 29 अगस्त, 2009 द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कंधरापुर, पं.क्र. 497, दिनांक 31 दिसम्बर, 1996 ग्राम व पोस्ट मचवारा, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्री संजय दुबे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संशोधित आदेश क्रमांक/उरन./परिसमापन/2019/1015, नरसिंहपुर, दिनांक 11 सितम्बर, 2019 द्वारा श्री एम. जी. सोनी, उप अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्सशीट में लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी व देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कंधरापुर, पं.क्र. 497, दिनांक 31 दिसम्बर, 1996 ग्राम व पोस्ट मचवारा, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 06 मार्च, 2020 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(544-I)

नरसिंहपुर, दिनांक 06 मार्च, 2020

क्र./उरन./परि./2019-20/275.—कार्यालयीन आदेश क्र./उरन./परिसमापन/2009/755, नरसिंहपुर, दिनांक 29 अगस्त, 2009 द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मचवारा, पं.क्र. 517, दिनांक 07 जनवरी, 1997 ग्राम व पोस्ट मचवारा, तहसील व जिला नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्री आर.के. मेहरा, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संशोधित आदेश क्रमांक/उरन./परिसमापन/2019/1016, नरसिंहपुर, दिनांक 11 सितम्बर, 2019 द्वारा श्री एम. जी. सोनी, उप अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्सशीट में लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी व देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मचवारा, पं.क्र. 517, दिनांक 07 जनवरी, 1997 ग्राम व पोस्ट मचवारा, तहसील व जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 06 मार्च, 2020 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(544-J)

नरसिंहपुर, दिनांक 06 मार्च, 2020

क्र./उरन./परि./2019-20/276.—कार्यालयीन आदेश क्र./उरन./परिसमापन/2009/755, नरसिंहपुर, दिनांक 29 अगस्त, 2009 द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नयागांव, पं.क्र. 516, दिनांक 07 जनवरी, 1997 ग्राम व पोस्ट नयागांव, तहसील व जिला नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्री आर. के. मेहरा, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संशोधित आदेश क्रमांक/उरन./परिसमापन/2019/1014, नरसिंहपुर, दिनांक 11 सितम्बर, 2019 द्वारा श्री एम. जी. सोनी, उप अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्सशीट में लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है। परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी व देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नयागांव, पं.क्र. 516, दिनांक 07 जनवरी, 1997 ग्राम व पोस्ट नयागांव, तहसील व जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 06 मार्च, 2020 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(544-K)

नरसिंहपुर, दिनांक 06 मार्च, 2020

क्र./उरन./परि./2019-20/277.—कार्यालयीन आदेश क्र./उरन./परिसमापन/2014/928, नरसिंहपुर, दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा मॉ अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बम्होरीकला, पं.क्र. 714, दिनांक 30 जून, 2014 ग्राम व पोस्ट बम्होरीकला, तहसील व जिला नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्री एस. एस. भाटी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्सशीट में लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है। परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी व देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत मॉ अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बम्होरीकला, पं.क्र. 714, दिनांक 30 जून, 2014 ग्राम व पोस्ट बम्होरीकला, तहसील व जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 06 मार्च, 2020 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(544-L)

नरसिंहपुर, दिनांक 06 मार्च, 2020

क्र./उरन./परि./2019-20/278.—कार्यालयीन आदेश क्र./उरन./परिसमापन/2014/165, नरसिंहपुर, दिनांक 05 फरवरी, 2014 द्वारा श्री रेवा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भूतखेड़ा, पं.क्र. 731, दिनांक 30 जून, 2014 ग्राम व पोस्ट भूतखेड़ा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्री एस. एस. भाटी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्सशीट में लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है। परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी व देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत श्री रेवा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भूतखेड़ा, पं.क्र. 731,

दिनांक 30 जून, 2014 ग्राम व पोस्ट भूतखेड़ा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ

आज दिनांक 06 मार्च, 2020 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(544-M)

नरसिंहपुर, दिनांक 06 मार्च, 2020

क्र./उरन./परि./2019-20/353.—कार्यालयीन आदेश क्र./उरन./परिसमापन/2014/928, नरसिंहपुर, दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा विवेकानन्द बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मेहरागांव, पं.क्र. 705, दिनांक 30 जून, 2014 ग्राम व पोस्ट मेहरागांव, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्री एस. एस. भाटी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्सशीट में लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी व देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत विवेकानन्द बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मेहरागांव, पं.क्र. 705, दिनांक 30 जून, 2014 ग्राम व पोस्ट मेहरागांव, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 19 मार्च, 2020 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(544-N)

नरसिंहपुर, दिनांक 19 मार्च, 2020

क्र./उरन./परि./2019-20/352.—कार्यालयीन आदेश क्र./उरन./परिसमापन/2014/928, नरसिंहपुर, दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा सीता रेवा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गांगई, पं.क्र. 732, दिनांक 30 जून, 2014 ग्राम व पोस्ट गांगई, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्री सी. एस. पटेल, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संशोधित आदेश क्रमांक/उपन/2017/1826, दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 द्वारा श्री एस. एस. भाटी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्सशीट में लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी व देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत सीता रेवा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गांगई, पं.क्र. 732, दिनांक 30 जून, 2014 ग्राम व पोस्ट गांगई, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 19 मार्च, 2020 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(544-O)

नरसिंहपुर, दिनांक 21 मई, 2020

क्र./उरन./परि./2020-21/479.—कार्यालयीन आदेश क्र./उरन./परिसमापन/2017/1939, नरसिंहपुर, दिनांक 16 नवम्बर, 2017 द्वारा

यशोधरा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खुरपा, पं.क्र. 718, दिनांक 30 जून, 2014 मुकाम व पोस्ट खुरपा, तहसील व जिला नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्रीमती त्रिवेणी साहू, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्सशीट में लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी व देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत यशोधरा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खुरपा, पं.क्र. 718, दिनांक 30 जून, 2014 मुकाम व पोस्ट खुरपा, तहसील व जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 21 मई, 2020 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(544-P)

नरसिंहपुर, दिनांक 21 मई, 2020

क्र./उरन./परि./2020-21/480.—कार्यालयीन आदेश क्र./उरन./परिसमापन/2017/1939, नरसिंहपुर, दिनांक 16 नवम्बर, 2017 द्वारा माँ शांति कृपा श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., नरसिंहपुर, पं.क्र. 755, दिनांक 30 जून, 2014 मुकाम व पोस्ट नरसिंहपुर, तहसील व जिला नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्रीमती त्रिवेणी साहू, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्सशीट में लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी व देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत माँ शांति कृपा श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., नरसिंहपुर, पं.क्र. 755, दिनांक 30 जून, 2014 मुकाम व पोस्ट नरसिंहपुर, तहसील व जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 21 मई, 2020 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

अखिलेश कुमार निगम,

उप-रजिस्ट्रार.

(544-Q)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर.

जबलपुर, दिनांक 20 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/492.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/2205, दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रैठरा, वि.खण्ड सिहोरा, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2132 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अमित ठाकुर, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रैठरा, वि.खण्ड सिहोरा, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2132 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 20 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(535)

जबलपुर, दिनांक 20 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/493.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/2201, दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पटना, वि.खण्ड मझौली, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अमित ठाकुर, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पटना, वि.खण्ड मझौली, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1991 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 20 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(536)

जबलपुर, दिनांक 20 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/494.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/2171, दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोरहा, वि.खण्ड मझौली, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1976 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अमित ठाकुर, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोरहा, वि.खण्ड मझौली, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1976 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 20 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

शिवम् मिश्रा,
उप-पंजीयक.

(537)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जुलाई, 2020-आषाढ़ 19, शके 1942

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, बुधवार, दिनांक 25 मार्च, 2020

1. मौसम एवं वर्षा:—प्रायः राज्य में मौसम शुष्क रहा. कुछ जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है. संलग्न सांख्यिकी सूचना-1 में जिलों की तहसीलों के सामने वर्षा मिलीमीटर में प्रतिवेदित की गई है.

- | | |
|---|---|
| 2. प्रारम्भिक जुलाई पर वर्षा का प्रभाव :- | जुलाई बंद है. |
| 3. बोनी पर वर्षा का प्रभाव :- | बोनी बंद है. |
| 4. धान रोपाई पर वर्षा का प्रभाव :- | रोपाई बंद है. |
| 5. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव :- | कोई प्रभाव नहीं. |
| 6. कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :- | कोई प्रभाव नहीं. |
| 7. अन्य असामयक घटना से छति :- | कोई छति नहीं. |
| 8. फसल स्थिति :- | जिलों से प्राप्त पत्रकों में फसल स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है. |

9. सिंचाई:- राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में प्रतिवेदित किया गया है. संबंधित जिलों के सामने सांख्यिकी सूचना-1 में प्रतिवेदित किया गया है.

10. पशुओं की स्थिति:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

11. चारा :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

12. बीज:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

13. खेतिहर श्रमिक :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8						9			10	
8.	गुना :	गुना राघोगढ़ बमोरी आरोन चाचौड़ा मकसूदनगढ़ कुम्भराज	..	..	..	..	..	गेहूँ अन्य	चना	रईसरसों	सामान्य	..	सामान्य सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
9.	टीकमगढ़ :	निवाड़ी पृथ्वीपुर जतारा टीकमगढ़ बल्देवगढ़ पलेरा खरगापुर मोहनगढ़ लिधौरा ओरछा	..	..	..	..	..	गेहूँ चना	..	..	अधिक अधिक	0.15 0.02	सामान्य सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त. 0
	10.	छतरपुर :	गौरीहार नौगांव छतरपुर राजनगर बीजावर बड़ा मलहण महाराजपुर चंदला धुवारा लवकुशनगर बक्सवाहा	..	..	..	..	..	तुअर	..	..	कम	15%	..	5. . .	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8						9			10			
24.	उज्जैन :	खाचरौद महिदपुर तराना घटिया उज्जैन बड़नगर नागदा	..	..	..	..	..	..	गेहूँ चना राईसरसों	..	..	अधिक कम कम	..	..	सामान्य सामान्य कम	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त, ..	6.(ब)अच्छी. ..	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
25.	आगर :	बड़ौद सुसनेर नलखेड़ा आगर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त, ..	6.(ब)अच्छी. ..	7. ..	8. पर्याप्त.	
26.	शाजापुर:	मोमन (बड़े) शाजापुर शुजालपुर कालापीपल पोलायकलां अबंतीपुर- बडौदिया गुलाना	..	..	..	..	..	..	गेहूँ चना राईसरसों मसूर तुअर अन्य	..	..	अधिक कम समान समान कम समान	30% 30% 2% ..	समान सामान्य सामान्य सामान्य समान	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त, ..	6.(ब)अच्छी. ..	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
27.	देवास :	सोनकच्छ टोंकखुर्द देवास बागली कन्नोद हाटपिपल्या सतवास उदयनगर खातेगांव	..	..	..	..	..	..	गेहूँ मसूर चना राईसरसों मटर मूंग उड़द	..	..	कम कम कम अधिक अधिक कम कम	15% .. 15% 40% 20%	सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई	..	5. ..	6.(अ)संतोषजनक, ..	6.(ब)अच्छी. ..	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10	
36.	राजगढ़ :	राजगढ़ जीरापुर खिलचीपुर ब्यावरा सारंगपुर पचोर नरसिंहगढ़		..	..	..	..	गेहूँ चना मसूर अन्य						5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
37.	विदिशा :	लटेरी सिरोंज कुरवाई बासोदा नटेरन विदिशा गुलाबगंज शमसाबाद त्यौंदा पठारी ग्यारसपुर		..	..	..	..	गेहूँ चना मसूर				सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई	20% 20% 10%	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)सामान्य.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
38.	भोपाल :	बैरसिया कोलार हुजूर बैरागढ़		..	..	..	..	गेहूँ चना मसूर मटर			अधिक कम समान सामान्य	5% 10%	सामान्य सामान्य समान सामान्य	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
39.	सीहोर :	सीहोर आष्टा इछावर नसरुल्लागंज रेहटी श्यामपुर जावर बुधनी		..	..	..	..	गन्ना गेहूँ चना			कम अधिक कम	.. 5% 10%	सामान्य सामान्य सामान्य	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8						9			10	
40.	रायसेन :	रायसेन गैरतगंज बेगमगंज गोहरगंज बरेली सिलवानी बाड़ी सुल्तानपुर उदयपुरा	 36.0					गेहूँ चना			अधिक कम	25% 20%	सामान्य सामान्य		5. पर्याप्त. ..	6.(अ)पर्याप्त, ..	6.(ब)अच्छी. ..	7.पर्याप्त. ..	8. पर्याप्त. ..
41.	बैतूल :	बैतूल भैंसदेही घोड़ाडोंगरी शाहपुर चिचोली मुल्ताई आठनेर आमला प्र.पटनम भीमपुर	7.2 .. 27.0 15.4 .. 3.0 2.4 ..					गेहूँ चना			अधिक अधिक		सुधरी हुई सुधरी हुई	5% 5%	5.	6.(अ)पर्याप्त, ..	6.(ब)अच्छी. ..	7. पर्याप्त ..	8. पर्याप्त. ..
42.	होशंगाबाद :	होशंगाबाद सिवनी- मालवा बावई इटारसी सोहागपुर पिपरिया बनखेड़ी डोलरिया पचमढ़ी	.. 1.8 .. 2.0 12.8 9.3 ..					गेहूँ चना तुअर गन्ना			अधिक कम कम	15% 60% 30%	सामान्य सामान्य सामान्य		5. पर्याप्त. ..	6.(अ)	6.(ब)अच्छी. ..	7.पर्याप्त. ..	8. पर्याप्त. ..

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
43.	हरदा :		..	..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	अधिक	..	सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		हरदा	..	..	..	..	..	..	चना	..	..	कम	..	..	..	..	..	..	..	..
		खिड़किया	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		सिराली	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		रेहटगांव	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		हॉडिया	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	टिमरनी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
44.	जबलपुर:		..	..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	अधिक	10%	सुधरी हुई	5%	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		आधारताल	22.6	..	..	..	..	..	मसूर	..	..	कम	40%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		कुण्डम	11.8	..	..	..	..	..	मटर	..	..	कम	25%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		सीहोरा	14.3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		पाटन	4.8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		मझौली	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		शाहपुरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		पनागर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
45.	कटनी :		..	..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	सामान्य	..	सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		बहोरीबंद	3.6	..	..	..	..	..	चना	..	..	समान	..	समान	..	..	..	..	..	..
		ढीमरखेड़ा	4.0	..	..	..	..	..	मसूर	..	..	सामान्य	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		रीठी	2.0	..	..	..	..	..	राईसरसो	..	..	समान	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		बड़वारा	5.0	..	..	..	..	..	मटर	..	..	समान	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		मुड़वारा (क)	8.4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		विजयराषवगढ़	1.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		बरही	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
46.	नरसिंहपुर :		..	..	..	..	..	..	गन्ना	..	..	कम	10%	..	..	5. . .	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		नरसिंहपुर	..	..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	अधिक	15%	..	..	..	..	..	..	..
		गोटेगांव	..	..	..	..	..	..	चना	..	..	कम	15%	..	..	..	..	..	..	..
		करेली	..	..	..	..	..	..	मसूर	..	..	अधिक	15%	..	..	..	..	..	..	..
		गाडरवारा	..	..	..	..	..	..	मटर	..	..	अधिक	20%	..	..	..	..	..	..	..
		तेंदूखेड़ा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
47.	मण्डला :	मण्डला नैनपुर बिछिया निवास नारायणगंज घुघरी							तुअर मसूर चना	अलसी मटर . .	राई-सरसों गेहूँ . .	सामान्य सामान्य सामान्य		सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई		5.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
48.	डिण्डोरी:	डिण्डौरी शाहपुरा बजाग	5.8 10.8 4.4				वर्षा		गेहूँ मसूर	चना अलसी	मटर . .	समान समान		समान सामान्य		5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
49.	छिन्दवाड़ा :	छिन्दवाड़ा तामिया परासिया जुन्नारदेव सोंसर बिछुआ अमरवाड़ा चौरई उमरेठ मोहखेड़ हरई चांद पांडुर्णा	6.6 6.0 24.3 15.6 15.4 3.0 . . 8.6 37.8	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. पर्याप्त. .	6.(अ)पर्याप्त, .	6.(ब)अच्छी. .	7. .	8. पर्याप्त. .
50.	सिवनी :	सिवनी बरघाट कुरई केवलारी लखनादोन छपारा धनोरा घंसोर							गेहूँ मटर गन्ना लाख	चना अलसी . .	मसूर राईसरसों . .	अधिक अधिक कम		सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य		5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7.पर्याप्त.	8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10			
51.	बालाघाट :			..	..	..	..	धान	..	..	..	सामान्य	..	सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
	बालाघाट			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	लाँजी			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	किरनापुर			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	बैहर			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	वारासिवनी			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	कटंगी			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	लालबर्वा			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	तिरोडी			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	परसवाड़ा			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	बिरसा			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	खैरलाँजी			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

(541)

बी. बी. अग्निहोत्री,
उप-आयुक्त,
वास्ते-आयुक्त,
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश.